

एक नजर में

दो अंतरराज्यीय अफीम तस्करी को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो लाख रूपयों का अर्थदण्ड

नीमच। जितेंद्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा 38 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) सुनील चौधरी पिता पारसराज जाट, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम खारिया, थाना-बेरुदा, तहसील-भोपालगढ़, जिला-जोधपुर (राजस्थान) एवं (2) पप्पूराम पिता नाथूराम मेघवाल, उम्र-41 वर्ष, निवासी-ग्राम खारिया खंगार, थाना-बेरुदा, तहसील-भोपालगढ़, जिला-जोधपुर (राजस्थान) को धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200000-200000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19.04.2022 को कार्यालय उपनारकोटिदस आयुक्त, नीमच में पदस्थ निरीक्षक परीक्षित चौधरी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक 12 चक्रा टुक जिसमें चाय-पत्ती की आड़ में लगभग 35-40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम छिपाकर मणिपुर से लाई जा रही है, जो वाया आसाम, गुवाहाटी, बिहार, लखनऊ, आगरा, जयपुर, किशनगढ़ होते हुए जोधपुर सलाई की जायेगी। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से निरीक्षक परीक्षित चौधरी द्वारा मुखबिर सूचना से अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, जिनके आदेश से कार्यवाही हेतु निवारक दल का गठन किया गया। टुक के किशनगढ़ टोल नाके पर आने को सभावना तथा साथ ही इसकी पायलॉटिंग हेतु हथियारबंद बदमाश स्कॉपीयो गाड़ी साथ में होने से मय फोर्स किशनगढ़ टोल नाके पर घेराबंदी की गई। इसके पश्चात मुखबिर द्वारा बताया गया टुक आने पर उसको रोका तथा चालक का नाम पछुने पर उसने अपना नाम सुनील चौधरी एवं सहाचालक से उसका नाम पप्पूराम होना बताया। टुक की पायलॉटिंग हथियारबंद बदमाश द्वारा किये जाने की सूचना होने से सुरक्षा की दृष्टि से निवारक दल द्वारा सी.बी.एन. के सबसे नजदीकी कार्यालय नीमच में टुक को लाया जाकर उसकी तलाशी ली गई। टुक के पिछले हिस्से में चाय पत्ती के कट्टे भरने थे तथा केबिन की तलाशी लिये जाने पर उसमें गुप्त चेम्बर बना था, जिसमें 42 पैकेट में कुल 38.140 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया। आरोपीगण के कब्जे से अफीम व टुक को जप्त किया गया व उनको गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्य आरोपीयों के संबंध में अनुसंधान को खुला रखते हुये, परिवार माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान करार अंतरराज्यीय अफीम तस्करी के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुये आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई।

जिले में अब तक 749.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

मंदसौर। जिले में इस वर्ष अब तक औसतन 749.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। जब कि पिछले 24 घंटों में मंदसौर जिले में 7.0 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में मंदसौर में 0 मि.मी., सीतामऊ में 7.4 मि.मी., सुवासरा में 4.1 मि.मी., गरोट में 10.6 मि.मी., भानपुरा में 4.2 मि.मी., मल्हारगढ़ में 0 मि.मी., धुंधुका में 0 मि.मी., शामगढ़ में 14.2 मि.मी., संजीत में 0 मि.मी., कयामपुर में 0 मि.मी. एवं भागद में 0 मि.मी. वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। विगत 1 जून से अब तक वर्षा मापक केन्द्र मंदसौर में 759.0 मि.मी., सीतामऊ में 671.4 मि.मी., सुवासरा में 713.0 मि.मी., गरोट में 683.8 मि.मी., भानपुरा में 1484.2 मि.मी., मल्हारगढ़ में 447.0 मि.मी., धुंधुका में 730.0 मि.मी., शामगढ़ में 690.6 मि.मी., संजीत में 579.0 मि.मी., कयामपुर में 679.3 मि.मी. एवं भागद में 810.4 वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। गांधीसागर बांध का जल स्तर अब तक 1300.95 फीट है।

नीमच

एक नजर में

राजस्व एवं कृषि अधिकारी अपने अमले के साथ फील्ड भ्रमण कर फसल क्षति का तत्काल नजरी आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करें : कलेक्टर



नीमच। समय-सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक और साप्ताहिक लक्ष्यों की पूर्ति के कार्य को सभी जिला अधिकारी पूरी गंभीरता से लेते और सम्पूर्ण विभागीय जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहे। राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी अपने मैदानी अमले के साथ आगामी दो दिन में फील्ड विजिट करें और फसलों को हुए नुकसान का नजरी आंकलन कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टर सभाकक्ष नीमच में आयोजित टी.एल.बैठक में सभी जिला अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड, श्री बी.एस.कलेश, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर श्री पराग जैन, सुश्री मयूरी जोक एवं सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने कृषि एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए, कि वे अपनी देखरेख में फसल कटाई प्रयोग को अच्छे से करवाएं। उन्होंने सभी जनपदों और सीएमओ को शेष रहे समग्र, ई-केवाईसी का कार्य इसी एक सप्ताह में पूरा करवाने के निर्देश दिए। सी.एम.हेल्थलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने सभी विभागों को संतुष्टी के साथ सी.एम.हेल्थलाइन बंद करवाने और अपने-अपने विभागों की मासिक रैप्ट 10 के नीचे हलसित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम सूर्य चर मुगत बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा में बताया गया, कि जिले में अब तक 625 घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं और दिसम्बर तक 3000 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जावेगा। गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना की समीक्षा में महाप्रबंधक जल निगम ने बताया, कि गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से जिले में जल प्रदाय की टैरिफिंग का कार्य कर लिया गया है। नवम्बर तक हर घर नल जल योजना से शुद्ध जल प्रदाय आपूर्ति प्रारंभ कर दी जायेगी।

दूधिया पानी और दुग्धि रफ्तार से छलका जाऊ सागर बांध, नीमचवासियों में खुशी की लहर

नीमच। मानसून की मेहरबानी से जिले का प्रसिद्ध जाजू सागर बांध इस बार पूरे शबाब पर है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते बांध पूरी तरह लबाब भर गया है, और अब दूधिया सफेद झरनों की तरह पानी छलकता नजर आ रहा है। तेज रफ्तार से बहते पानी का नजारा न सिर्फ देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा है, बल्कि आसपास के इलाकों से लोग यहां का नजारा देखने उमड़ रहे हैं। जाजू सागर बांध, जो पहले ही नीमच और आसपास के क्षेत्र में एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है, अब पूरी रफ्तार से बहते पानी के साथ और भी आकर्षक बन गया है। सुबह से लेकर शाम तक यहां आने वालों की भीड़ देखी जा रही है। परिवार, दोस्त, युवा और बच्चे हर कोई इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए यहां पहुंच रहा है।

मध्यस्था, सरल, त्वरित एवं किफायती न्याय का माध्यम : कार्यवाहक पीडीजे तिवारी

मंदसौर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 02 सितम्बर 2025 को एडीआर भवन, मंदसौर में मध्यस्था जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायालयीन लंबित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए मध्यस्था जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान साधन के प्रति जनसामान्य, अधिवक्ताओं एवं विधि विद्यार्थियों को जागरूक करना था। अध्यक्षताकार्यवाहक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी ने की।



सभी प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से कार्यक्रम में भाग लेकर मध्यस्था प्रक्रिया की महत्ता को आत्मसात किया। साथ ही न्यायाधीश ने आगामी नेशनल लोक अदालत (13 सितम्बर 2025) के सफल आयोजन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए और अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के अंत में यह संदेश दिया गया कि मध्यस्था के माध्यम से समाज में न्याय की सुलभता, तीव्रता और विश्वास को मजबूत बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास आवश्यक है।

संबंधों में भी सौहार्द बनाए रखना जा सकता है। न्यायाधीश महोदय ने यह भी कहा कि मध्यस्था न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी है और यह विवादों के समाधान का सरल, त्वरित एवं किफायती माध्यम है। उन्होंने बताया कि मध्यस्था के माध्यम से पक्षकार स्वयं आपसी संवाद और सहमति से विवाद का समाधान प्राप्त करते हैं, जिससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक

भानपुरा में डोल ग्यारस पर भव्य जलझूलनी महोत्सव आज

भानपुरा। श्री सनातन धर्म मंडल भानपुरा के तत्वावधान में नगर परिषद और जनसहयोग से बुधवार, 3 सितंबर को पारंपरिक एवं गौरवशाली पर्व डोल ग्यारस/जलझूलनी महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। आयोजन में हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। कार्यक्रम के तहत नगर के 24 मंदिरों से भगवान के विमान शोभायात्रा के रूप में नगर भ्रमण करेंगे। शोभायात्रा में श्रीराम द्वारा सार्वजनिक व्यायामशाला और श्री सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज व्यायामशाला के पहलवानों द्वारा आकर्षक अखाड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। शोभायात्रा गाजे-बाजे के साथ रेवा नदी के राजघाट पहुंचेगी, जहां प्रतिमाओं का जल अभिषेक एवं पूजन-अर्चना होगा। यहां धार्माचार्यों, जनप्रतिनिधियों और मंडल पदाधिकारियों की उपस्थिति में अखाड़े के पहलवानों का शानदार प्रदर्शन होगा। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद सामूहिक आरती, झंडा गीत और प्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन होगा। नगर में उत्सव का वातावरण बना हुआ है।



एसपी ने जनसुनवाई में 33 आवेदकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया

मंदसौर। जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार, 2 सितंबर को पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया।

बिना एचएसआरपी वाहन मालिक नहीं कर पाएँ आरसी, फिटनेस और परमिट नवीनीकरण : आरटीओ यादव

मंदसौर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र यादव द्वारा बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले के सभी वाहनों पर हाई सिक्वोरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दी गई है। जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगी, उन्हें कई प्रकार की परिवहन सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा। अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना आवश्यक है। इसके बाद पंजीकृत वाहनों में यह प्लेट पहले से अनिवार्य कर दी गई है। यदि वाहन मालिक निर्धारित समयवधि में अपने वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगवाते हैं तो संबंधित शो-रूम डीलर का ट्रेड लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। एचएसआरपी न होने पर वाहन मालिकों को निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी। डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता परिवर्तन, शुल्क देकर आरसी विवरण देखना, मोटर वाहन के स्वामित्व में परिवर्तन, हाइपोथीकेशन जोड़ना/हटाना, अनापत्ति प्रमाण पत्र।


2 सहायक व्यक्तियों के आवेदन 12 सितंबर तक आमंत्रित

मंदसौर। महिला एवं बाल विकास अधिकारी बी.एल. विश्वादी ने जानकारी देते हुए बताया कि यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों की सहायता के लिए पाँचवीं अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 2 सहायक व्यक्तियों का इम्पेनलमेंट किया जाना है। यह सहायक व्यक्ति बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मदद करेंगे, जिसमें उनके बयान दर्ज करवाना, पैरवी में सहयोग, परामर्श उपलब्ध कराना एवं सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता दिलवाना शामिल है। सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन स्वयं अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्वीड पोस्ट के माध्यम से 12 सितंबर 2025 तक जिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंदसौर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक नजर परिजनों ने जनसुनवाई में की शिकायत, दोषी डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग

ऑपरेशन में आंत काटने का आरोप, जिंदगी और मौत से जुझ रही महिला

पिपलियामण्डी। मंदसौर जिले में चिकित्सकीय लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। निजी त्रिशिका नर्सिंग होम की संचालक डॉ. रीना नागर पर आरोप है कि सीजेरियन ऑपरेशन के दौरान एक महिला की आंत कट गई, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई है। ग्राम लिम्बावास निवासी अजय बंजारा ने बताया कि उनकी पत्नी शांतिबाई को 25 जुलाई को प्रसव पीड़ा पर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सीजेरियन डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने मां-बच्चे को स्वस्थ बताया, लेकिन परिजनों का कहना है कि इसी दौरान



महिला को आंत कट गई। 27 जुलाई को शांति की हालत बिगड़ी तो उन्हें बिना उचित इलाज के छुट्टी दे दी गई। इसके बाद अहमदाबाद और उदयपुर के अस्पतालों में इलाज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने आंत कटने और संक्रमण फैलने की पुष्टि की। मजबूरी में आंत का बायपास कर अलग से मल निकासी की व्यवस्था की गई। फिलहाल शांति की हालत गंभीर है और वह दवाओं के सहारे जिंदगी से जुझ रही है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने गलती मानने के बजाय धमकी दी। मंगलवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर परिजनों व ग्रामीणों ने दोषी डॉक्टर पर कठोर कार्रवाई, आर्थिक क्षति की भरपाई और न्याय की मांग की है। यह मामला न केवल एक परिवार की पीड़ा को उजागर करता है, बल्कि जिले में निजी नर्सिंग होमों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

हनुमान चालीसा पाठ कर किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन

सोयाबीन फसल नुकसान सर्व व बीमा राशि वितरण की मांग

नीमच। जिले के जावद तहसील अंतर्गत ग्राम पालराखेड़ा के किसानों ने खरीफ सीजन में सोयाबीन फसल को हुए भारी नुकसान को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सोयाबीन की फसल पर फूलमाला और अगरबत्ती चढ़ाकर जय जवान मर गया किसान के नारे लगाए तथा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस प्रदर्शन ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। किसानों का कहना है कि इस वर्ष गांव पालराखेड़ा में सोयाबीन की फसल पर पीला मोजेक रोग फैलने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रोग के कारण पौधे सुखने लगे हैं और फलन नहीं हो रहा, जिससे किसानों को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बार-बार अवगत कराने के बाद भी अब तक ना तो राजस्व विभाग ने स्थल निरीक्षण किया और ना ही फसल नुकसान का सर्वे किया गया है। गांव के किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कराने और क्षतिपूर्ति स्वरूप मुआवजा राशि दिलाने की मांग की गई है। साथ ही पूर्व में वितरित फसल बीमा राशि भी गांव पालराखेड़ा में किसानों को नहीं मिली।



एक नजर विहित प्रक्रिया अपनाकर लिया गया गोद

औरंगाबाद की सिंगल माता ने अपनाया नीमच की 6 माह की बालिका अंशु को

नवभारत न्यूज नीमच। कलेक्टर जिला नीमच हिमांशु चंद्रा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीमच अमन वैष्णव के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रयासों से बालिका अंशु (परिवर्तित नाम) को नया घर मिल गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मबावि नीमच सुश्री अंकिता पंड्या ने बताया, कि बालिका अंशु (परिवर्तित नाम) को 06 माह पूर्व परिवार द्वारा लावारिस छोड़ दिया गया था। बालिका के बारे में पता करने का प्रयास किया गया। शिशु गृह नीमच द्वारा भी बच्चों के



परिवार के बारे में बहुत तलाश की गई, परन्तु बच्चों के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बालिका के परिवार के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने पर बाल कल्याण समिति नीमच के आदेश उपरान्त बालिका को लीगल प्रॉज करवाया जाकर ष्ट्र पोर्टल पर दर्ज करवाया गया। 6 माह की बालिका अंशु (परिवर्तित नाम) शिशु गृह नीमच में आश्रयत थी। सिंगल माता सुश्री रिद्धिमा शर्मा (परिवर्तित नाम) द्वारा ष्ट्रपोर्टल पर बच्चे को गोद लेने हेतु 2021 में रजिस्टर्ड करवाया गया था ; विहित प्रक्रिया के पालन पश्चात बालिका अंशु (परिवर्तित नाम) को सुश्री रिद्धिमा शर्मा (परिवर्तित नाम) को गोद दिया गया। खर्चू हिंसा से पीड़ित सुश्री शर्मा का अपने पति से विवाह विच्छेद 2021 में हो गया था तथा विवाह विच्छेद के पश्चात सुश्री शर्मा को अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी ऐसी स्थिति में सुश्री रिद्धिमा द्वारा अपने बच्चे के रूप में बालिका को गोद लेने का निर्णय लिया गया। माता सुश्री शर्मा बैंक मैनेजर है वे बताती हैं, कि वे बच्चे के रूप में बालिका को ही चाहती थी इसीलिए उन्होंने बालिका हेतु रजिस्टर्ड करवाया गया।



सर्वसमाज की बैठक में दीपावली पर्व सोमवार 20 अक्टूबर को मनाने का लिया निर्णय

नीमच। सनातन धर्म के आगामी त्यौहारों को लेकर श्री कर्मकाण्डीय विप्र परिषद, पुजारी संघ, सर्वसमाज की बैठक सोमवार 01 सितम्बर 2025 को शहर के हृदय स्थल घण्टाघर के पास स्थित श्री विचला गोपाल मंदिर पर सांघ 4 बजे श्री श्यामजी शर्मा पुजारी गोपाल मंदिर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई हुई। जिसमें आगामी त्यौहार 18 अक्टूबर, 2025 धन त्रयोदशी, 19 अक्टूबर नरक चतुर्दशी, 20 अक्टूबर दीपावली महालक्ष्मी पूजा, 21 अक्टूबर देवपितृ कार्य अमावस्या, 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा एवं अननकूट, 23 अक्टूबर भाई दूज, 02 नवम्बर 2025 देवउठनी एकादशी (तुलसी विवाह) को एक मत से मनाये जाने को लेकर श्री कर्मकाण्डीय विप्र परिषद एवं पुजारी संघ के निर्णयों विचला गोपाल मंदिर पर एकमत सहर्ष हंसते हुए अपनी सहमति प्रदान की। उपस्थित सभी सदस्यों ने सनातन एवं हिन्दू समाज के पक्ष में किये गये श्री कर्मकाण्डीय विप्र परिषद, पुजारी संघ के इस प्रयास को उल्लेखनीय एवं आने वाले समय के लिये जगहनिर्वाही माना।

मप्र तैराकी संघ की बैठक में भाग लेंगे अशोक मोदी

जिला तैराकी संघ की बैठक में लिया निर्णय, तैराकी के हित में रखेंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव

नीमच। मप्र तैराकी संघ की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 5 सितंबर को इटारसी में आयोजित हो रही है। जिसमें नीमच जिले का नेतृत्व जिला तैराकी संघ अध्यक्ष अशोक मोदी करेंगे। मप्र तैराकी संघ द्वारा प्रदेश में आगामी गतिविधियों और तैराकी संबंधित आयोजनों की रूपरेखा बनाने 5 सितंबर को मप्र तैराकी संघ की यह बैठक की जा रही है। इसमें प्रदेश भर के तैराकी संघों से जुड़े पदाधिकारी व प्रतिनिधि भाग लेंगे। इससे पूर्व इसको लेकर नीमच जिला तैराकी संघ द्वारा बैठक आयोजित की गई। जिसमें नीमच जिले से भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव व जानकारी को उक्त बैठक में रखा जाए और उसमें हमारा प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि बैठक में संघ अध्यक्ष अशोक मोदी की भाग लेवे और नीमच की तरफ से तैराकी के हित में अपनी मजबूती के साथ बात रखे। संघ की ओर से सभी ने उनके नाम पर सहमति व्यक्त की है। अब वह इटारसी पहुंचकर प्रदेश स्तरीय तैराकी संघ बैठक में भाग लेंगे।

